सूचना का अधिकार

सूचना विवरण पुस्तिका

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

उत्तराखण्ड सरकार

मैनुअल– 04

(01 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक)

निदेशालय

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा(तपोवन)देहरादून।

वेबसाइट–www.schooleducation.uk.gov.in
ई.मेल-ua.elementary@yahoo.in

प्रेषक,

महत्वपूर्ण/समयबद्ध

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

01. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
02. समस्त उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा–जि.शि.अ., प्रा.शि.)

पत्रांक– विविध(08)/11927-30/मिशन कर्मयोगी–(01)/2025–26, दिनांक– 13 फरवरी, 2026

विषय– <u>मिशन कर्मयोगी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्मिकों को ऑनबोर्ड किये जाने के संबंध में।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड के पत्र संख्या 1886–92 दिनांक 10 फरवरी 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें अवगत कराया गया है कि दिनांक 02 फरवरी 2026 को निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून के सभागार में मिशन कर्मयोगी परियोजनान्तर्गत क्षमता निर्माण ईकाई (CBU) की बैठक आहूत की गई बैठक में निर्देशित किया गया है कि *माह फरवरी 2026 में समस्त कार्मिको को IGOT Platform पर ऑनबोर्ड तथा समस्त अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों को पर उपलब्ध प्रशिक्षण में से अपने दायित्वों के अनुरूप न्यूनतम 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम को माह फरवरी में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाय।*

अतः उक्त के सम्बन्ध में आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों को https://portal.igotkarmayogi.gov.in पर Login करते हुए IGOT Platform पर उपलब्ध प्रशिक्षण में से अपने दायित्वों के अनुरूप न्यूनतम 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम को माह फरवरी 2026 में अनिवार्य रूप से पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें प्रशिक्षण हेतु मोबाइल प्ले स्टोर से IGoT karmayogi मोबाइल ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। साथ ही जनपद/विकासखण्ड स्तर पर नामित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अद्यतन जिन अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों को IGOT Platform पर ऑनबोर्ड नहीं किया गया है तत्काल ऑनबोर्ड किया जाय तथा IGOT Platform पर ऑनबोर्ड अधिकारी/कार्मिक/शिक्षकों के विवरण यथा पदनाम, मोबाइल, ई–मेल आई.डी. इत्यादि में संशोधन किया जाना है तो संशोधन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। ध्यान रहे कि कोई भी कार्मिक ऑनबोर्ड/प्रशिक्षण से वंचित ना रहे।

संलग्नः– उक्तवत्

भवदीय
13/02/26
(अजय कुमार नौडियाल)
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0– विविध(08)/11927-30 /मिशन कर्मयोगी–(01)/2025–26, दिनांक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलीय अपर निदेशक (प्रा.शि.), कुमाऊँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल को इस आशय के साथ प्रेषित कि मण्डलीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारी/कार्मिक का विवरण (नाम, पदनाम, मोबाइल, ई–मेल आई.डी. अंग्रेजी में तथा एक्सेल शीट पर) तत्काल निदेशालय को तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि IGOT Platform पर ऑनबोर्ड किया जा सके।
3. समस्त विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा (द्वारा–जि.शि.अ., प्रा.शि.)।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या– 25 /ई0 360586/XXII/2026/80(10)2010

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त,
   गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड।

सूचना अनुभाग

देहरादून : दिनांक 13 जनवरी, 2026

विषय : गणतन्त्र दिवस समारोह–2026 के आयोजन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

आगामी 26 जनवरी, 2026 को गणतन्त्र दिवस समारोह मनाये जाने हेतु दिनांक 05.01.2026 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस समारोह के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप–रेखा विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार न्यून संशोधन के प्रतिबन्धाधीन, निम्नवत् होगी :–

1. गणतन्त्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रमुख राजकीय भवनों के प्रकाशीकरण की कार्यवाही दिनांक 25.01.2026 एवं दिनांक 26.01.2026 को की जायेगी। प्रकाशीकरण का समय सांयकाल 6:00 बजे से 11:00 बजे रात्रि तक रहेगा। इसमें कम वोल्टेज के बल्बों/एल.ई.डी. का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा तथा इस कार्य में नगर निगम, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, व्यापार संघों तथा स्थानीय गैर–सरकारी संस्थाओं की सहभागिता भी सुनिश्चित की जायेगी।

   (कार्यवाहीः समस्त प्रमुख सचिव /सचिव /पुलिस महानिदेशक/समस्त जिलाधिकारी, /उपाध्यक्ष, एम.डी.डी.ए./एम.एन.ए., नगर निगम, देहरादून)

2. सूचना विभाग द्वारा प्रदेश मुख्यालय में प्रमुख चौराहों पर दिनांक 25 जनवरी 2026 को सायं 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक तथा दिनांक 26 जनवरी, 2026 को प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे पूर्वाह्न तक लाउडस्पीकर के माध्यम से देशप्रेम एवं देशभक्ति के गीतों का प्रसारण किया जायेगा।

   (कार्यवाही–सूचना निदेशालय/समस्त जिलाधिकारी)

3. गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून के सहयोग से टाउन हॉल में कवि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। जिसमें जनपद देहरादून में निवासित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। कवि सम्मेलन में लोकप्रिय कवि बुलाये जायें एवं कवि सम्मेलन के आयोजन का विज्ञापन भी प्रकाशित कराये जायेंगे।

(कार्यवाही : प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग/जिलाधिकारी, देहरादून/निदेशक,संस्कृति विभाग)

4. गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर श्री राज्यपाल महोदय के संदेश का दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रसारण की व्यवस्था सूचना विभाग द्वारा यथासमय सुनिश्चित कर ली जायेगी। इस निमित्त राजभवन सचिवालय द्वारा यथोपेक्षित गत चार वर्ष की उपलब्धियों एवं नीतियों का विवरण सूचना विभाग द्वारा सचिव, श्री राज्यपाल को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।
(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव, महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)

5. दिनांक 26.01.2026 को सचिवालय, जनपद मुख्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में प्रातः 9:30 बजे झण्डारोहण किया जायेगा।
(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/जिलाधिकारी)

6. संबंधित जिलाधिकारी अपने जनपदों के प्रभारी मा0 मंत्रीगण को ध्वजारोहण हेतु यथासमय अनुरोध पत्र प्रेषित करेंगे। यदि जनपद के प्रभारी मा0 मंत्रीगण समारोह में उपस्थित होने में असमर्थ हों, तब ध्वजारोहण की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा, शासनादेश संख्या 73/सा0प्रशा0/2003 दिनांक 31.जनवरी, 2003 में विहित प्रोटोकॉल के तहत अंकित कम में की जायेगी। तत्पश्चात् सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
(कार्यवाही : संबंधित मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी)

7. राजधानी में मुख्य समारोह परेड ग्राउण्ड में प्रातः 10:30 बजे प्रारम्भ होगा। समारोह के मुख्य अतिथि श्री राज्यपाल महोदय होंगें। आयोजन स्थल की सजावट सलामी स्थल का विकास कार्य, बैरिकेटिंग एवं अन्य निर्माण कार्यों का समन्वय जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून, उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून एवं मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून द्वारा किया जायेगा। समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ सम्पन्न किया जायेगा।
(कार्यवाही :जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/उपाध्यक्ष, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून)

8. परेड ग्राउण्ड में आयोजित परेड में सेना, आई.टी.बी.पी., सी.आई.एस.एफ., बी.एस.एफ, एस.एस.बी., सिविल पुलिस, पी.ए.सी, एन.सी.सी., महिला प्लाटून आदि द्वारा भाग लिया जायेगा। परेड का नेतृत्व सेना के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। परेड में सेना तथा पी.ए.सी. बैण्ड शामिल होंगे। परेड में सेना एवं उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा अलग से भी पाईप बैण्ड के कार्यक्रम का प्रदर्शन किया जायेगा। परेड के समन्वय का सम्पूर्ण दायित्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून का होगा, जो सेना एवं अन्य सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर परेड की तैयारी, रिहर्सल एवं सुचारू संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में सब एरिया कमाण्डर, हैडक्वार्टर्स, देहरादून को पाइप बैण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु सूचना विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा पत्र प्रेषित किया जायेगा।

प्रदर्शन में उत्कृष्ट परेड दल के चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) के लिये सचिव, गृह की अध्यक्षता में सेना तथा महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक पुलिस, आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी. की समिति का गठन किया जायेगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली झाँकियों का चयन (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय) सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें अपर सचिव, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग तथा अपर सचिव, सूचना विभाग सदस्य होंगे। सर्वश्रेष्ठ दल एवं झाँकी को समारोह में पुरस्कृत भी किया जाये, जिसकी व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी। श्री राज्यपाल महोदय द्वारा पूर्व

परम्परानुसार उत्कृष्ट सेवा हेतु पुलिस अधिकारियों को मैडल प्रदान कर पुरस्कृत किया जायेगा।

(कार्यवाही : सचिव, सूचना/ गृह/संस्कृति तथा जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

9. परेड के तुरन्त बाद विभिन्न विभागों के द्वारा झांकियों का प्रदर्शन किया जायेगा, झांकियों के चयन के लिये सचिव, संस्कृति विभाग के स्तर पर विभागीय सचिवों के साथ अलग से बैठक कर झांकी की विषयवस्तु को अन्तिम रूप दिया जायेगा। झांकियों का स्वरूप आकर्षक एवं समसामयिक होना चाहिए तथा उन्हें तैयार करने हेतु बजट की व्यवस्था स्वयं विभागों द्वारा की जायेगी। परेड में सर्वश्रेष्ठ प्रथम, द्वितीय व तृतीय झांकी को पुरस्कृत किया जायेगा। झांकी प्रस्तुत करने हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को संस्कृति विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किया जायेगा। झाँकियों के संबंध में निर्देश दिये गये कि जिन विभागों द्वारा झाँकियां प्रस्तुत की जानी है, के विषय वस्तु संबंधी प्रस्ताव अविलम्ब निदेशक, संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इस संबंध में सचिव, सूचना विभाग आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे।

(कार्यवाही: समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/पुलिस महानिदेशक/सचिव, सूचना/ जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून)

10. झांकियों के बाद परेड ग्राउण्ड में संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। राजकीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं (9वीं एवं 11वीं कक्षा) के समूह द्वारा एवं तत्पश्चात् पूर्व की भांति सांस्कृतिक दलों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे। सांस्कृतिक दलों का चयन सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, संस्कृति से समन्वय करते हुए किया जायेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किये जायेगें, जिनसे उत्तराखण्ड के सांस्कृतिक विरासत की भव्यता व विविधता का प्रदर्शन हो।

(कार्यवाही: सचिव, संस्कृति विभाग /जिलाधिकारी, देहरादून/निदेशक, संस्कृति विभाग)

11. सभी जनपदों में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जायेगा। सम्बंधित जनपद के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किये जाने हेतु सम्मान पत्र का प्रेषण आदि व्यवस्थायें गृह विभाग के माध्यम से समन्वय करते हुये जिलाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जायेंगी। समारोह में उत्तराखण्ड गौरव सम्मान से सम्मानित नागरिकों को भी आमंत्रित किया जायेगा।

(कार्यवाही :प्रमुख सचिव, गृह/समस्त जिलाधिकारी)

12. गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक सप्ताह पूर्व से राज्य के समस्त जनपदों के महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस/आई0टी0बी0पी0/एन0सी0सी0/विद्यालयी बैन्ड द्वारा वंदेमातरम् तथा देश भक्ति के गीतों की धुन के आधार पर प्रर्दशन किया जायेगा। इस हेतु स्थान का चयन जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

(कार्यवाही–सचिव, गृह विभाग/उच्च शिक्षा/विद्यालयी शिक्षा विभाग/समस्त जिलाधिकारी)

13. गणतन्त्र दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिनांक 14.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक प्रदेश में समस्त शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया जायेगा। इस कार्य के लिए मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी स्थानीय निकायों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष सफाई अभियान चलायेंगे। मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का

गठन किया जायेगा। साथ ही शासकीय चिकित्सालयों में भी विशेष सफाई अभियान चलाते हुए गरीब रोगियों को फल वितरण किया जायेगा।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी)

14. प्रायः देखा गया है कि गणतन्त्र दिवस समारोह के उपरान्त Hand Flags अव्यवस्थित रूप से यहां-वहां गिरे रहते है, जिससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होता है। अतः इस संबंध में अव्यवस्थित ढंग से पड़े हुए Hand Flags को एकत्रित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगा। समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी भवनों पर ध्वजारोहण के दौरान Flag Code Of India, 2002 के प्राविधानों का उल्लंघन न हो।

(कार्यवाही– समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक)

15. गणतंत्र दिवस के आयोजन में कागज का न्यूनतम प्रयोग किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश मुख्यालय में समारोह कार्यक्रम हेतु मात्र ई-इन्विटेशन के माध्यम से सूचित किये जाने की व्यवस्था जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा की जायेगी। अधिकतम 1000 महानुभाव समारोह में आमंत्रित किये जायेंगे और उन्हें यथोचित सम्मान भी प्रदान किया जायेगा। समारोह कार्यक्रम संबंधी ई-इन्विटेशन सूचना विभाग द्वारा बनवाये जायें और उनका वितरण (डिजीटल/दूरभाष के माध्यम से) दिनांक 25.01.2026 तक जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा कराया जायेगा।

(कार्यवाही : सचिव संस्कृति/जिलाधिकारी, देहरादून/महानिदेशक, सूचना विभाग)

16. गणतन्त्र दिवस समारोह जैसे राष्ट्रीय पर्व को इस तरह से मनाया जाये कि जिससे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बलवती हो। समारोह में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर प्रतिबिम्बित हो। विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य सहभागिता/उपस्थिति हेतु समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा पृथक से विभागीय निर्देश निर्गत किए जायेंगे। यह भी अपेक्षा की गई कि सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व में प्रतिभाग किया जायेगा। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर सभी अधिकारीगण अपनी सहभागिता/उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगें।

(कार्यवाही : समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी)

गणतन्त्र दिवस समारोह का समापन राष्ट्रीय गान के साथ सम्पन्न किया जायेगा।

भवदीय,

Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 12-01-2026
12:26:59

(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव

संख्या-95 /ई0 360586/XXII/2026/80(10)2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण/राज्यमंत्री गण को मा0 मंत्रिगणों के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, पुलिस निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. मेयर, नगर निगम, देहरादून/समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
9. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, आई.टी.बी.पी., सीमाद्वार, देहरादून।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. सब एरिया कमाण्डर, हेडक्वाटर्स, देहरादून।
12. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. एन.आई.सी., सचिवालय।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बंशीधर तिवारी)
अपर सचिव

प्रेषक,

महत्वपूर्ण/तत्काल/समयबद्ध

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. **निदेशक**, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2. **निदेशक**, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. **निदेशक**, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
4. **अपर निदेशक**, सीमैट/एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
5. **मण्डलीय अपर निदेशक**, मा0शि0/प्रा0शि0, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. **सचिव**, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
7. **अपर राज्य परियोजना निदेशक**, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8. **समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी**, उत्तराखण्ड।
9. **समस्त प्राचार्य**, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
10. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी**, मा0शि0/प्रा0शि0, उत्तराखण्ड।
11. **समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी**, उत्तराखण्ड। **(द्वारा मु0शि0अ0)**
12. **समस्त उप शिक्षा अधिकारी**, उत्तराखण्ड। **(द्वारा मु0शि0अ0)**

पत्रांक:- विविध/5053-55/राष्ट्रीय पर्व/19/2025-26, दिनांक 23 जनवरी, 2026

विषय: गणतन्त्र दिवस समारोह-2026 के आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सूचना अनुभाग के पत्र संख्या 25/ई.360586/XXII/2026/80(10)2010 दिनांक 13.01.2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गणतन्त्र दिवस समारोह-2026 के आयोजन हेतु कार्यक्रम की रूप-रेखा, विशेष परिस्थितियों में अपरिहार्यता की दशा में स्थानीय स्तर पर सुविधानुसार न्यून संशोधन के प्रतिबंधाधीन निम्नवत् उपलब्ध करायी हैः-

1. गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रमुख राजकीय भवनों के प्रकाशीकरण की कार्यवाही 25.01.2026 एवं दिनांक 26.01.2026 को की जायेगी। प्रकाशीकरण का समय सांयकाल 06:00 बजे से 11:00 बजे रात्रि तक रहेगा। इसमें कम वोल्टेज के बल्बों/एल.ई.डी. का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
2. दिनांक 26.01.2026 को सचिवालय, जनपद मुख्यालयों, विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं शासकीय कार्यालयों में प्रातः 09:30 बजे झण्डारोहण किया जायेगा।
3. राज्य के समस्त जनपदों के महत्वपूर्ण स्थानों पर एन0सी0सी0/विद्यालयी बैन्ड द्वारा वन्देमातरम् तथा देश भक्ति के गीतों की धुन के आधार पर प्रदर्शन किया जायेगा। इस हेतु स्थान का चयन जिलाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
4. गणतन्त्र दिवस के अवसर पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिनांक 14.01.2026 से दिनांक 31.01.2026 तक प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों/स्थानीय निकायों द्वारा व्यापक सफाई अभियान चलाया जायेगा।

5. गणतन्त्र दिवस समारोह जैसे राष्ट्रीय पर्व को इस तरह से मनाया जाये कि जिससे राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बलवती हो। समारोह में सभी वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं उत्तराखण्ड की सांस्कृतिक धरोहर प्रतिबिम्बित हो। विभागीय अधिकारियों की अनिवार्य सहभागिता/उपस्थिति हेतु सतस्त विभागाध्यक्ष द्वारा पृथक से विभागीय निर्देश निर्गत किये जायेंगे। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों से पूर्ण उत्साह के साथ इस राष्ट्रीय पर्व में प्रतिभाग किये जाने की अपेक्षा की गयी है। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर सभी अधिकारीगण अपनी सहभागिता/उपस्थिति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगें।

अतः शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 13.01.2016 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि यथानिर्देश अपने अधीनस्थ कार्यालयों/विद्यालयों में गणतन्त्र दिवस समारोह-2026 के सफल आयोजन हेतु उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीया,

23/1/26

(कमला बड़वाल)
प्रभारी अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0: विविध/ 4043-45 /राष्ट्रीय पर्व/19/2025-26, दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपितः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।

23/1/26

प्रभारी अपर निदेशक,
महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या—141 /XXII/2026-02(02)2026

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सूचना विभाग देहरादून 20 मार्च, 2026

विषयः— सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर "जन—जन की सरकार— 4 साल बेमिसाल" कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर दिनांक 23 मार्च, 2026 से दिनांक 25 मार्च, 2026 तक प्रदेश में "जन—जन की सरकार—4 साल बेमिसाल" थीम के अंतर्गत तीन दिवसीय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा विगत चार वर्षों में किये गये विकास कार्यों एवं जनहितकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाने तथा पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं।

2— अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर मा० प्रभारी मंत्री/मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित प्रतिनिधि की अध्यक्षता में कार्यक्रमों, जिससे अधिकाधिक नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, का आयोजन सुनिश्चित कर जनसेवा शिविरों के आयोजन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें:—

1. जनपदों में चिकित्सा शिविर/रक्तदान शिविर/दिव्यांगजनों के लिये कैम्प/उपकरण वितरण का आयोजन किया जाय। महिलाओं/बालिकाओं के लिये विशेष स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जाय।
2. समस्त जनपदों के जनपद मुख्यालयों में भी दिनांक 23.03.2026 को कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें सूचना विभाग द्वारा राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार तथा साहित्य वितरण किया जायेगा।
3. इस अवसर पर प्रत्येक जिला मुख्यालय में मैराथन/खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय।
4. प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 23 मार्च, 2026 की सांय को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाय। कार्यक्रम स्थल पर उत्तराखण्ड की लोक परम्पराओं, लोक नृत्य, लोक गायन, लोक कला जैसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाय।
5. जनपद स्तर पर कार्यक्रम का शुभारम्भ प्रातः 11:00 बजे किया जाना है। मा. प्रभारी मंत्री/मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा पहले जनता को सम्बोधित किया जायेगा। जनपद देहरादून में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को मा. मुख्यमंत्री जी

द्वारा अपरान्ह् लगभग 12:30 बजे सम्बोधित किया जायेगा, जिसका सजीव प्रसारण समस्त जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से भी किया जायेगा एवं इस हेतु व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

6. जनपद मुख्यालय/विधानसभा/जनपद की प्रशासनिक ईकाई यथा तहसील/ब्लॉक स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिये निश्चित धनराशि सूचना विभाग द्वारा जिलों को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसके निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।
7. जनपद मुख्यालय पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में स्थानीय सम्मानित जनप्रतिनिधयों के साथ–साथ सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जायेगा।
8. आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मा० सांसदगण/मा० विधायकगण एवं सम्मानित जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय।
9. जनपद क्षेत्र में आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों का पूर्व में व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाय तथा सम्बन्धित क्षेत्र के मीडिया प्रतिनिधियों से भी समन्वय स्थापित किया जाय।
10. विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाये तथा पात्र लाभार्थियों के आवेदन/पंजीकरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
11. विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों को आमंत्रित कर उनके अनुभव साझा कराने के माध्यम से अन्य नागरिकों को भी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए।
12. युवाओं के लिए कौशल विकास, स्वरोजगार एवं उद्यमिता से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।
13. महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, पोषण, मातृ–शिशु स्वास्थ्य तथा स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए।
14. नागरिकों को विभिन्न डिजिटल एवं ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के उपयोग के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध कराई जाय।
15. उक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु जो भी कार्य आवश्यक होंगे, जिलाधिकारी अपने स्तर से अपने जनपद के अनुरूप निर्णय लेंगे।
16. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रमों के आयोजन में विभिन्न विभागों के मध्य समुचित समन्वय रहे तथा कार्यक्रमों में व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित किया जाय। कार्यक्रमों का प्रभावी प्रचार–प्रसार भी स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाए ताकि अधिकाधिक नागरिक लाभान्वित हो सकें।

भवदीय,
Digitally signed by
Anand Bardhan
Date: 19-03-2026
(आनन्द बर्द्धन)
मुख्य सचिव।

सं. /141/XXII/2026-02(02)2026, सूचना, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।
4. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(बंशीधर तिवारी)
अपर सचिव

196
संख्या /XXIV-A-2/25-18/2023 (41758)

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

3. राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः 07 मई, 2025

विषयः प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–प्रा0शि0–दो(2)/564(II)-2022/2594/2023-24, दिनांक 09 मई, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत छात्र–छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को निम्न प्रतिबंधो/शर्तों के अधीन स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु विद्यालय चयन के निम्न मानदण्ड अपनाये जायेंगे :–

1. चिन्हित विद्यालय की 05 किमी की परिधि में न्यून छात्र संख्या वाले विद्यालयों को लाभान्वित किया जायेगा।
2. राजकीय प्राथमिक विद्यालय में राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को समाहित किया जायेगा।
3. विद्यालय में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग कर शिक्षण कार्य किये जाने हेतु विद्युत संयोजन उपलब्ध हो।
4. विद्यालय के निकट अथवा उसके परिसर में सम्भव आंगनबाडी केन्द्र संचालित होता हो।
5. विद्यालय हेतु पर्याप्त कक्षा–कक्ष उपलब्ध हो अथवा कक्षा–कक्षों के निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
6. चयनित विद्यालय में भविष्य में आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य कराये जाने हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो।
7. विद्यालय में छात्र संख्या बढ़ने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत विद्यालय अधिक से अधिक सेवित क्षेत्र को लाभान्वित करता हो।
8. विद्यालय में पेयजल, चाहरदीवारी एवं शौचालय आदि की सुविधायें उपलब्ध हों।
9. उत्कृष्ट विद्यालय के निकट के विद्यालय में पंजीकृत CWSN (Children with Special Needs) छात्र को उत्कृष्ट विद्यालय में आने–जाने में कठिनाई को चिन्हित किया जायेगा और तद्नुसार CWSN (Children with Special Needs) छात्र की समस्या का निदान किया जायेगा।

3– उत्कृष्ट विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता वृद्धि हेतु प्रस्तावित कार्य निम्नवत् है :–

1. स्थापित किये जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालय में प्रति विद्यालय में कम से कम 04 शिक्षक अथवा आर0टी0ई0 मानकानुसार शिक्षक, जो भी अधिक हो, तैनात किये जायेंगे।
2. कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे।

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

3. स्मार्ट क्लास निर्मित किये जायेंगे।
4. पुस्तकालय की स्थापना की जायेगी।
5. खेल मैदान विकसित कराया जायेगा।
6. अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण।
7. सुविधानुसार बालवाटिका विकसित की जायेगी।
8. उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित क्षेत्र से इतर अन्य क्षेत्र के विद्यालयों से आने वाले बच्चों हेतु ट्रान्सपोर्ट की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4— उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किये जाने हेतु जनपद द्वारा प्रस्तावित विद्यालयों की जनपदवार संख्यात्मक विवरण संलग्न है।

5— उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षण अधिगम हेतु अनुकूल वातावरण तैयार किये जाने हेतु उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किये गये विद्यालयों में निम्नलिखित विवरणानुसार कार्य कराये जाने पर होने वाले व्ययभार का सम्भावित विवरण निम्नवत् है :—

व्ययभार का विवरण	दर	उत्कृष्ट विद्यालय		
		प्राथमिक 603	उच्च प्राथमिक 76	योग 679
दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष	0.18 (प्रतिकक्ष रु0 9 लाख)	108.54	13.68	122.22
शौचालय ब्लाक	0.0395	23.82	3.00	26.82
दो कम्प्यूटर	0.01	6.03	0.76	6.79
पुस्तकालय विकास	0.005	3.02	0.38	3.40
स्मार्ट क्लास	0.012	7.24	0.91	8.15
	Total	148.64	18.73	167.37

6— उत्कृष्ट विद्यालय में अन्य विद्यालय से आने वाले इच्छुक बच्चों के ट्रान्सपोर्ट पर होने वाले व्ययभार का अनुमानित व्यय विवरण निम्नानुसार है:—

1. उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु चिन्हित विद्यालय = 679 (603 रा०प्रा०वि० एवं 76 रा०उ०प्रा०वि०)।
2. निकटवर्ती विद्यालयों की संख्या जिनके छात्र लाभान्वित हो सकते हैं = 1090 (993 रा०प्रा०वि० एवं 97 रा०उ०प्रा०वि०)।
3. निकटवर्ती विद्यालयों में पंजीकृत बच्चों की संख्या = 13691 (PS- 12114, UPS- 1577)

7— छात्र के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु छात्र की विद्यालय में उपस्थिति से जोड़ते हुए प्रति बच्चा प्रति दिवस ₹100/— की दर से धनराशि दिये जाने पर होने वाले व्ययभार का विवरण :—

बच्चों की संख्या— 13691 विद्यालय कार्य दिवसों की संख्या— 240 प्रस्ताव दर— ₹ 100/—	13691×240×100 = 32,85,84,000

8— प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र—छात्राओं हेतु आवागमन की प्रक्रिया निर्धारित करने तथा Transportation में आने

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में निम्न तालिकानुसार एक समिति गठित की जायेगी:-

1.	जिलाधिकारी सम्बन्धित जनपद	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी सम्बन्धित जनपद	उपाध्यक्ष
3.	उप जिलाधिकारी सम्बन्धित तहसील	सदस्य
4.	मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद	सदस्य सचिव
5.	आर०टी०ओ० / ए०आर०टी०ओ० सम्बन्धित जनपद	सदस्य
6.	जिला शिक्षा अधिकारी (मा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) सम्बन्धित जनपद	सदस्य
8.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सम्बन्धित जनपद	सदस्य
9..	खण्ड विकास अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
10.	खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य
11.	उप शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित विकास खण्ड	सदस्य

9— उक्तानुसार गठित समिति में नामित सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य किसी भी विभाग के अधिकारी को समिति में शामिल/नामित कर सकते है। प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत उत्कृष्ट विद्यालय स्थापना में चयनित उत्कृष्ट विद्यालय के सेवित ग्राम से इतर अन्य सेवित ग्राम से आने वाले छात्र–छात्राओं हेतु आवागमन के संबंध में उक्त तालिकानुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की सहायता से आवागमन (Transportation) की व्यवस्था/प्रकिया निर्धारित की जाएगी।

10— Transportation में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

11— प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) को विकसित किये जाने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्वविवेक के आधार पर निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे।

12— प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मध्य उत्कृष्ट विद्यालय (Centre for Excellence) में शैक्षिक गुणवत्ता को अधिक बेहतर किये जाने के लिए शिक्षकों के तैनाती/चयन/प्रक्रिया का निर्धारण जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।

13— **ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु धनराशि का भुगतान:**–त्रैमासिक आधार पर अग्रिम धनराशि का भुगतान संबंधित छात्र को किया जाये तथा भुगतान किये गये तिमाही में अनुपस्थित रहने वाले दिवसों को घटाकर अगले तिमाही में समायोजन करते हुए धनराशि भुगतान किया जाये।

14— समग्र शिक्षा के अंतर्गत पूर्व से संचालित एस्कॉर्ट सुविधा हेतु समग्र शिक्षा द्वारा निर्धारित मानक छात्रों के ट्रान्सपोर्ट/एस्कॉर्ट में भी लागू किये जाएंगे।

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner

15— यह आदेश वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनरेटेड संख्या–I/293914/2025 दिनांक 30 अप्रैल 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAVINATH RAMAN
Date: 06-05-2025
15:12:18

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या / /XXIV-A-2 /25-18 / 2023 (41758) तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त सदस्य, ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट हेतु गठित समिति को द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाइल।

Digitally signed by
BHUPENDRA SINGH BORA
Date: 06-05-2025
16:12:40

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र सिंह बोरा)
संयुक्त सचिव।

File No. BES2-8/115/57/2022-XXIV-A-2-Basic Education Department-Part(1) (Computer No. 41758)
Generated from eOffice by PINKI, RO-PINKI, REVIEW OFFICER, Basic Education Department on 07/05/2025 11:19 AM

Scanned with OKEN Scanner